[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं.-27/2024-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 25 नवंबर, 2024

सा.का.नि..... (अ) – केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3, के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में,संख्यांक सा.का.नि. 609(अ),तारीख 19 जून, 2017, में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या, 02/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी V के लिए, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"सारणी V

माल और सेवा कर अन्वेषण महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा जारी सूचना के संबंध में आदेश या विनिश्चय पारित करने के लिए केंद्रीय कर के अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की शक्तियां

क्र.सं.	केंद्रीय कर प्रधान आयुक्त या आयुक्त	शक्तियां (भारत के पूरे क्षेत्र में प्रयोग करने योग्य)
(1)	(2)	(3)
1.	प्रधान आयुक्त अहमदाबाद दक्षिण	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 67, 73, 74, 76, 122, 125, 127, 129 और 130 के अधीन माल और सेवा कर अन्वेषण महानिदेशालय द्वारा जारी नोटिस के संबंध में आदेश या विनिश्चय पारित करना।"।
2.	प्रधान आयुक्त बेंगलुरु पूर्व	
3.	प्रधान आयुक्त भोपाल	
4.	प्रधान आयुक्त भुवनेश्वर	
5.	प्रधान आयुक्त चंडीगढ़	
6.	आयुक्त चेन्नई दक्षिण	

7.	प्रधान आयुक्त दिल्ली उत्तर	
8.	आयुक्त दिल्ली पश्चिम	
9.	आयुक्त फरीदाबाद	
10.	प्रधान आयुक्त गुवाहाटी	
11.	प्रधान आयुक्त जयपुर	
12.	प्रधान आयुक्त कोलकाता उत्तर	
13.	प्रधान आयुक्त लखनऊ	
14.	प्रधान आयुक्त मेरठ	
15.	आयुक्त नागपुर-II	
16.	आयुक्त पालघर	
17.	आयुक्त पुणे-II	
18.	आयुक्त रंगारेड्डी	
19.	प्रधान आयुक्त रांची	
20.	आयुक्त सूरत	
21.	आयुक्त ठाणे	
22.	आयुक्त तिरुवंतपुरम	
23.	प्रधान आयुक्त विशाखापत्तनम	

"

2. यह अधिसूचना 1 दिसंबर, 2024 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं.सीबीआईसी-20016/2/2022-जीएसटी]

(रौशन कुमार)

अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या 02/2017- केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 609 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकशित की गयी और अधिसूचना संख्या 02/2022-केंद्रीय कर, तारीख 11 मार्च, 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) संख्या सा.का.नि. 193 (अ) ,तारीख 11 मार्च, 2022 द्वारा प्रकशित की गयी थी, के द्वारा अंतिम बार संशोधित की गयी।